

●कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

संख्या /23 /xxv-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्रीमती जशोदा भट्ट मार्फत रमेश चन्द्र रामा, स्टेशन रोड, नजदीक- हनुमान मंदिर कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

का

पृ० संख्या /23 /xxv-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्रीमती जशोदा भट्ट मार्फत रमेश चन्द्र रामा, स्टेशन रोड, नजदीक- हनुमान मंदिर कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

का

सेवा में।

लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
४- सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर
देहरादून (उत्तराखण्ड) -248001

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बंध में

महोदय

आपके पत्र संख्या 1132/XXV/12/2008 (P-3) दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा विन्दु संख्या 08 से 12 तक की सूचना प्राप्त हुई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1263/रानि0आ0-1/2007/2015 दिनांक 31 दिसम्बर 2015 (छाया प्रति सलग्न) के द्वारा यह अवगत किया गया है कि विन्दु सं0-7 से सम्बंधित 11 पृष्ठ तथा विन्दु -08 से सम्बंधित 01 पृष्ठ भी उपलब्ध किए जाने हैं। अतः कुल 12 पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रतियां रु 2/- प्रति पृष्ठ की दर से कुल धनराशि रूपये 24/- अतिरिक्त शुल्क लोक सूचना अधिकारी के नाम डिमांड इफट या पोस्टल आर्डर अथवा नगद जमा करने का निर्देश मिला है।

आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विन्दु संख्या 01 से विन्दु संख्या 07 तक चाही गई सूचना भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से सम्बंधित है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यावाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है जो कि विरोधाभास आलेख है। रानि0आ0 के पत्रानुसार स्पष्ट है कि विन्दु सं0 1 से विन्दु सं0 7 तक चाही गई सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध है। कृप्या स्पष्ट करें।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मैं रूपया 24/- का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 32F 130097, 32F 130114 एवं 56C 515811 इस पत्र के साथ सलग्न कर रहा हूँ। 1 रूपये की अतिरिक्त राशी जमा करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृप्या शीघ्र छायाप्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा कीजिएगा। रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह से सम्बंधित विन्दु सं0 08 के सम्बंध में सूचित करें।

धन्यवाद।

भवदीय

जशोदा भट्ट

दिनांक: २१ दिसम्बर २०१६

(श्रीमती जशोदा भट्ट)
मार्फत रमेश चन्द्र शर्मा
स्टेशन रोड, नजदीक- हनुमान मंदिर
कोटद्वार, जिला- पौड़ी गढ़वाल
(उत्तराखण्ड)

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

पत्रांक : 1263 / रा.नि.आ.-।।/2007/2015

दिनांक 31-12-2015

अतिरिक्त शुल्क के लिये सूचना का प्रपत्र

श्रीमती जशोदा मट्ट,
मार्फत रमेश चन्द्र शर्मा,
स्टेशन रोड, नजदीक हनुमान मंदिर,
कोटद्वार, जिला=पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

महोदया,

कृपया अपने सूचना के अनुरोध पत्र दिनांक 16.12.2015 का संदर्भ प्रहण करने का कष्ट करें जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 19.12.2015 को प्राप्त हुआ है और जिसमें आप द्वारा 12 बिन्दुओं की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके उपरोक्त अनुरोध पत्र दिनांक 16.12.2015 में उल्लिखित 12 बिन्दुओं की सूचना में से राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध सूचना बिन्दु संख्या-01 से 07 से संबंधित 11 पृष्ठ बिन्दु संख्या-08 से संबंधित-01 पृष्ठ आपको उपलब्ध कराये जाने हैं तथा बिन्दु संख्या-09 से 11 तक की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित न होने के फलस्वरूप पत्र संख्या-1202 दिनांक 20.12.2015 के द्वारा अनुरोध पत्र अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अंतरित किया गया है। अतः उक्त संबंधित कुल 12 पृष्ठों की प्रमाणित छायांकित प्राप्ति करने हेतु रु 02/- प्रति पृष्ठ की दर से कुल धनराशि रु 024.00 (रुपये चौबीस मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होता है। अतः उक्त धनराशि यथाएशीघ्र लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नान ज्यूडिशियल स्टाप्प-पेपर के माध्यम से प्रेषित करें। अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें। यह भी अवगत करना है कि उक्त शुल्क जमा करने से पूर्व सूचना से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य दिवश में संबंधित अभिलेखों की प्रतियां अवलोकित कर सकते हैं।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्राप्त होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा। यदि मांगी गई अतिरिक्त शुल्क की धनराशि आपको अत्यधिक लगती है तो उस अत्यधिक शुल्क के पुनर्विलोकन हेतु विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

श्री बी०डी० पाण्डेय,
उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

दूरभाष नं०-0135-2670998 मो० 7534820704

(प्रभात कुमार सिंह)

सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998

टेलीफँक्स : 0135-2670920, 2678945

ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

